उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0–06/2020–21

बेटाराम हाँसदा

बनाम्

राज्य एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 25/2/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक वेटाराम हाँसदा, पे0–स्व0 ठाकुर हाँसदा, सा0–हरिपुर, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक वेटाराम हाँसदा ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक–2009/सा0 दिनांक–26.12.2018 से निर्गत निदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन दाखिल किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हरिपुर जमाबंदी सं0–06 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गोपनाथ हाँसदा वो छोटा खेला हाँसदा के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत गोपनाथ हाँसदा के वंशज है तथा जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा को तीन पुत्री होपनमय हाँसदा उर्फ डेतमय हाँसदा, मंझन हाँसदा एवं चिरकी हाँसदा हुए, जिनकी शादी नियमित रूप से हुई थी। शादी के बाद सभी अपने–अपने ससूराल में रहने लगी और संथाल कस्टमरी कानून के अनुसार पुत्रियों को अपने पिता की सम्पति पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा की जमीन जमाबंदी रैयत गोपनाथ हाँसदा के वंशज को प्राप्त हुआ। उनका आगे कथन है कि विपक्षी गत जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा के पुत्री का पुत्र है। चूँकि संथाल कस्टमरी कानून के अनुसार पुत्री का अपने पिता के सम्पति पर कोई हक नहीं होता है। इसलिए विपक्षी सुजीत सोरेन एवं नितलाल सोरेन का उक्त जमाबंदी नं0–06 के जमीन पर कोई दावा नहीं बनता है। फिर भी विपक्षी सुजीत सोरेन एवं नितलाल सोरेन ने अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र सं0–48/रा0 दिनांक–06.05.2017 के आधार पर उक्त जमाबंदी की जमीन पर दावा प्रस्तुत किया है एवं ई0सी0एल0 प्रबंधक, ललमटिया से नौकरी के लिए दावा किया है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया है। चूँकि मामला स्वत्व से संबंधित है और अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को मामले पर निर्णय संक्षिप्त कार्यवाही से नहीं किया जाना चाहिए था। संथाल कस्टमरी कानून के अनुसार संथाल महिला को पिता की सम्पति

पर कोई हक या अधिकार नहीं होता है। फिर भी डेतमय हाँसदा को ताबेनजोम प्रणाली के तहत दिये गये रकवा 2.09 एकड़ जमीन पर आवेदक बेटाराम हाँसदा को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उक्त जमीन का उपयोग डेतमय हाँसदा अपने जीवनकाल तक ही कर सकती है। उसपर डेतमय हाँसदा के पुत्र का दावा नहीं बनता है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश निरस्त करने योग्य है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हरिपुर नं0–12 जमाबंदी सं0–06 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गोपनाथ हाँसदा वल्द छक्कू हाँसदा वो छोटा खेला हाँसदा के नाम से दर्ज है। छोटा खेला हाँसदा के एक पुत्र लंगड़ा हुए। आवेदक का यह कथन कि जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा को तीन पुत्रियाँ थी, सही नहीं है। बल्कि जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा को एक पुत्र लंगड़ा हुए। लंगड़ा हाँसदा को तीन पुत्री क्रमशः 1. चुरकी हाँसदा 2. मंझन हाँसदा 3. होपनमय हाँसदा हुई। चुरकी हाँसदा की मृत्यु नावल्द हो गयी है। होपनमय हाँसदा की शादी संझला सोरेन के साथ हुई। शादी के बाद लंगड़ा हाँसदा अपने पुत्री होपनमय हाँसदा एवं उसके पति संझला सोरेन को घरजमाई के रूप में अपने साथ रखने लगे। शादी के बाद पुत्री एवं दामाद अपने पिता एवं ससूर के घर रहने लगे एवं उनका सेवा सुश्रुषा करने लगे। लंगड़ा हाँसदा की मृत्यु के बाद उनका संथाली संस्कार के अनुसार श्राद्ध कर्म किया। विपक्षी सुजीत सोरेन एवं नीतलाल सोरेन जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा के पुत्र लंगड़ा हाँसदा के नाती है। चूँकि दोनों जमाबंदी रैयत का जमाबंदी नं0–06 की जमीन पर अलग–अलग दखल दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत गोपनाथ हाँसदा के वंशज है तथा विपक्षी सुजीत सोरेन एवं नीतलाल सोरेन जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा के वंशज है। उनका आगे कथन है कि संथाल प्रथा के तहत भी उत्तराधिकार का सिद्धांत है। यदि किसी व्यक्ति को केवल पुत्रियाँ है और यदि कोई एक या सभी पुत्रियाँ अपने पिता के घर में रहती है और पिता की देखभाल करती है और अपने पिता की सम्पति पर लगातार दखलकार है, तो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पिता की सम्पति का वारिश होगा। वर्ष 1922–35 की गेंजर की रिपोर्ट के पैरा 46 में भी यह बताया गया कि पुत्री को अपने पिता की सम्पति विरासत में प्राप्त होगा। उनका आगे कथन है कि हिन्दु कानून के तहत घरजमाई दत्तक पुत्र के रूप में पुत्र के बराबर है। होपनमय हाँसदा के पति अपने ससूर के घर में घरजमाई के रूप रहे हैं एवं घरजमाई के रूप में ही अपने सास ससूर का सेवा–शुश्रूषा किया है तथा उनकी जमीन पर लगातार दखलकार रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी

उसपर दखलकार है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने सही तरीके से जाँच पड़ताल कर आदेश पारित किया है और अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का आदेश अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का आदेश नियम संगत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि दोनों पक्ष का विवाद स्वत्व से संबंधित है। इसलिए इस स्तर पर कोई निर्णय देना उचित नहीं है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–787/रा0 दिनांक–04.09.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–हरिपुर थाना नं0–12 जमाबंदी नं0–06 कुल रकवा 50–15–13 धुर जमीन जमाबंदी रैयत गोपनाथ हाँसदा वल्द छकु हाँसदा वो छोटा खेला हाँसदा वल्द गोपनाथ हाँसदा कौम संताल साकिन लीलातरी के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। सभी दाग नं0 में दखल इजमाल है। अंचल स्तर से प्रथम पक्ष बेटाराम हाँसदा, पे0–स्व0 ठाकुर हाँसदा द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–31/रा0 दिनांक–05.03.2006 तथा होपनमय हाँसदा, पिता–स्व0 लंगड़ा हाँसदा को वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–48/रा0 दिनांक–06.05.2017 निर्गत किया गया है। दोनों अलग–अलग रैयत का वंशज क्रमशः प्रथम पक्ष को जमाबंदी रैयत गोपनाथ हाँसदा तथा द्वितीय पक्ष को जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा का वंशज बताया गया है, जिसमें बेटाराम हाँसदा जमाबंदी रैयत के पुत्र वंशज है, जबकि द्वितीय पक्ष में अंकित सुजीत सोरेन एवं नितलाल सोरेन नाती वंशज है। वंशावली में अंकित डेतमय हाँसदा एवं होपनमय हाँसदा एक ही महिला है जो जमाबंदी रैयत छोटा खेला हाँसदा की पोती है। आगे प्रतिवेदित किया है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत 2.09 एकड़ जमीन का ई0सी0एल0 राजमहल परियोजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन दिये जाने के कारण दोनों पक्ष में विवाद है। साथ ही द्वितीय पक्ष को अंचल बोआरीजोर से निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र संख्या–48/रा0 दिनांक–06.05.2017 के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा द्वारा अपने पत्रांक–1037/रा0 दिनांक –09.09.2020 के माध्यम से ई0सी0एल0 राजमहल परियोजना को निर्गत पत्र, जिसमें जमाबंदी रैयत के वैध वारिशानों को मुआवजा भुगतान करने हेतु निदेशित है। उनका आगे प्रतिवेदन है कि उक्त वादगत जमीन का उपयोग को लेकर दोनों पक्ष के बीच दिनांक–30.11.2005 को ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक से संबंधित पंचनामा कागजात की छायाप्रति प्रथम बेटाराम हाँसदा की ओर से उपलब्ध कराया गया, जिसमें होपनमय हाँसदा/डेतमय हाँसदा के पति

संझला सोरेन के जीवित रहने भर तक खेत का जोत आबाद करेगा तथा शेष दो पुत्री चुड़की हाँसदा एवं मंझन हाँसदा को पर्व त्योहार में निमंत्रण करेगा। साथ ही पंचनामा में संझला सोरेन एवं डेतमय हाँसदा के निधन के बाद जमीन का हकदार बेटाराम हाँसदा होगा, बताया गया। जाँच के क्रम में द्वितीय पक्ष होपनमय हाँसदा के पति को मूलतः बिहार का वासी बताया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विद्वान सरकारी वकील के बहस सुनने एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–हरिपुर नं0–12 जमाबंदी सं0–06 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गोपनाथ हाँसदा वल्द छक्कू हाँसदा वो छोटा खेला हाँसदा वल्द गोपनाथ हाँसदा के नाम से दर्ज है। आवेदक बेटाराम हाँसदा का कथन है कि होपनमय हाँसदा को उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत रकवा 2.09 एकड़ जमीन ताबेनजोम के रूप में स्वेच्छा से दिया गया है, जिसपर उनका नौकरी का दावा नहीं बनता है। जबकि विपक्षी का कथन है कि होपनमय हाँसदा की शादी संझला सोरेन के साथ होने के बाद घरजमाई के रूप में संझला सोरेन अपने ससूर के घर में रहकर सास–ससूर का भरण–पोषण किया है तथा संताल रीति रिवाज के अनुसार ससूर का श्राद्ध कर्म भी किया है तथा उनकी हिस्से की जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार रहे हैं। इस प्रकार दोनों पक्ष के दावा से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष का विवाद स्वत्व से संबंधित है। स्वत्व से संबंधित विवाद का निपटारा के लिए ट्रिव्यूनल का गठन किया गया है। ऐसी स्थिति में इस स्तर से निर्णय देना उचित प्रतीत नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक बेटाराम हाँसदा का आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.03.15 11:18:18 +05:30
Location: 172.29.16.1